

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/99/2021

रजिस्टर्ड नम्बर  
2021/317

प्रवेश तिथि  
08-10-2021

निर्णय दिनांक  
15-06-2022


- 01- मुखराम पुत्र भोडाराम जाति गुर्जर,  
02- ख्याली राम पुत्र भोडाराम जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम दुहार माला तहसील थानागाजी  
जिला अलवर (राज0)

-अपीलांट

बनाम

- 01- तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर। (राजस्थान)

-रेस्पोंडेण्ट



अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार थानागाजी दिनांक 30.08.2019 प्रकरण संख्या 73/2019 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विवादित आराजी किस्म बजड की भूमि से पैलन्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने जाने बाबत।

रूपस्थित:-


- 01-श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

-वकील अपीलान्ट्स

-:निर्णय:-

अपीलाण्टान ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 30.08.2019 जिसके द्वारा प्रकरण संख्या 73/2019 उनवान सरकार बनाम मुखराम वगै0 में राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल0 आर0 एक्ट के तहत ग्राम काला खोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.76 है0 में से 0.02 है0 किस्म बजड की भूमि पर कच्चे छप्पर बनाकर किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध पैलन्टी/बैदखली से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.02 है0 किस्म बजड पर अतिक्रमी मुखराम, ख्याली राम पुत्रान भोडाराम जाति गुर्जर निवासी दुहारमाला तहसील थानागाजी द्वारा सम्मत 2076 में नाजायज कब्जा कर कच्चे छप्पर बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आलोच्य निर्णय दिनांक 30.08.2019 के प्रकरण का निस्तारण कर गैरसायल अपीलाण्टान को अतिक्रमी घोषित कर वेदखल करने व आर्थिक दण्ड वसूल करने के आदेश दिये गये है। पारित निर्णय से असंतुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की है। तहत अदालत द्वारा निर्णय करने से पूर्व विधिक प्रक्रिया का कतई पालन नहीं किया है, और न ही अपीलाण्टान को पूर्ण रूप से साक्ष्य पेश करने का एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है, जो न्यायहित में आवश्यक था, ऐसी अवस्था में आलोच्य निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने के कारण तहत अदालत का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी खसरा

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राज0)

न0 720 रकबा 0.02 है0 पर कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है, उक्त भूमि बंजड सिवायचक आराजी है। अपीलान्तान गरीब पशुपालक व भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए कोई घर आदि नहीं है। गत 8-10 सालों से कच्चे घर छप्पर बनाकर परिवार सहित रहते हैं। तथा अपने पशु भेस बकरी आदि बाधते हैं। उक्त आराजी पर पुराना कब्जा होने के कारण तथा भूमिहीन/गरीब पशुपालक होने के कारण राज्य सरकार के सरकूलर के अनुसार अपीलान्तान उक्त आराजी को अपने नाम विनियमन/आवटन कराने के अधिकारी है। लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्तान को उक्त आराजी का अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व पैलन्टी आरोपित कायम करने का आदेश दिया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत द्वारा मौके पर जाकर कोई निरीक्षण नहीं किया न ही पटवारी हल्का से उक्त आराजी की पैमाईश ही करायी और न ही पटवारी हल्का के बयान कराये चुकि विवादित आराजी खसरा न0 720 का कुल रकबा साठे चार बीघा है, जिसमें से 0.02 रकबे पर पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण करना बताया है वह बिना पैमाईश के साबित नहीं हो सकता है कि किस तरफ कितने रकबे पर अपीलान्त का कब्जा है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की अनेको नजीरो में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, कि जहां पटवारी हल्का ने बड़े रकबे में से अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा कोई छोटा रकबा में अतिक्रमण किया हुआ बताया है, उसकी पैमाईश करके पहचान नहीं करवाई गई है, और ऐसा निर्णय निरस्त फरमाया है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्धीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जिस कारण से अपीलान्त तहत अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। अपीलान्धीन आदेश अपीलान्त की गैरमोजुदगी व गैरहाजरी में पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलान्त को पूर्व में नहीं थी। इस कारण समयावधि में अपीलान्त अपील पेश नहीं कर सके। जिसमें अपीलान्तान की कोई लापरवाही नहीं रही है। दिनांक 27.01.2020 को पटवारी हल्का मौके पर आये तथा उनके द्वारा बताया कि तुम्हारे खिलाफ बेदखली के आदेश पारित किये गये हैं। जिस पर दिनांक 28.01.2020 को नकल हेतु आवेदन किया गया और नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह ली जाकर अपील बिना देरी किये अपील अंदर अवधि पेश की जाकर अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उक्त कारण से हुयी है, जो कि नेकनियती व युक्तियुक्त कारण पर आधारित होने के कारण काविल माफि तथा मयाद में मुजरा दिये जाने योग्य है। इस हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्तान अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाकर अपील अपीलान्तान स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है कि वर्णित आराजी की किस्म बंजड है जिस पर अतिक्रमी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा विधिवत निर्णय दिनांक 30.08.2019 को पारित किया गया है। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील अपीलान्त व विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा-05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्त ने यह अपील तहत अदालत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 के विरुद्ध दिनांक 03.02.2020 को न्यायालय को पेश की है, जो करीब 5 माह पश्चात पेश की है। विलम्ब की अवधि साधारण नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र दफा-05 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है, जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपील अपीलान्त ने अपील में मुख्य हर्क रटाया है कि अपीलान्त का विवादित आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.02 है0 ग्राम काला खोरा तहसील थानागाजी पर कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है, उक्त भूमि बंजड सिवायचक आराजी है। अपीलान्तान गरीब पशुपालक व भूमिहीन है, जिनके पास रहने के लिए कोई घर आदि नहीं है। गत 8-10 सालों से कच्चे घर छप्पर बनाकर परिवार सहित रहते हैं। तथा अपने पशु भेस बकरी आदि बाधते हैं। उक्त आराजी पर पुराना कब्जा होने के कारण तथा भूमिहीन/गरीब पशुपालक होने के कारण राज्य सरकार के सरकूलर के अनुसार अपीलान्तान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (अयम)  
अजमेर (राजग)

उक्त आराजी को अपने नाम विनियमन/आंवटन कराने के अधिकारी है। तहत अदालत ने सम्वत 2076 में ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा न0 720 रकबा 0.76 है0 में से 0.02 है0 किस्म बंजड की भूमि पर कच्चे छप्पर बनाकर किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध नियमानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु अतिक्रमी बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही हुऐ। जिस पर तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर ग्राम कालाखोरा तहसील थानागाजी की आराजी खसरा 720 रकबा 0.76 है0 में से 0.02 है0 किस्म बंजड की भूमि पर कच्चे छप्पर बनाकर किये गये अतिक्रमण को ध्वस्त किये जाने व बेदखली/पैलन्टी कायम किये जाने का विधिवत निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजी की किस्म बजड राजकीय भूमि है। जिस पर अतिक्रमी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नहीं है। अत अपील अपीलान्टान खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जमा रिकार्ड हो।

आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अखिलेश कुमार पिपल)  
अति०जिला क्लर्क प्रथम  
अलवर(राजस्थान)

